प्रारूप-9
नियम 8(2) देखिये

संख्या 03498/2020-2021 दिनांक 01/03/2021

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण
संख्या:R/ALI/17753/2020-2021 पत्रावली संख्या:Ag-40906 दिनांक:2005-2006

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि **हेम विद्या जनकल्याण समिति, ग्राम चमन नगरिया तह० खैर जिला- अलीगढ, अलीगढ, 202135** को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 2052/2005-2006 दिनांक-27/01/2006 को दिनांक-27/01/2021 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है ।
1000 रूपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है ।

Digitally Signed By
(VINOD KUMAR SINGH)
8B206BBF34BACCF353DD390B1DA6EE14359A91F4
Date: 01/03/2021 3:24:27 PM, Location: Agra.

जारी करने का दिनांक-01/03/2021

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश ।

Hem Vidya Nikotan
Chairman

PRINCIPAL
HEM VIDYA NIKETAN
Affiliation No. 2131003
Chaman Nagaria, Khair-202135

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 6601 पत्रावली सं०-1 AG-40906 दिनांक 27-01-06

सोसाइटी-रजिस्ट्रीकरण
का
प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21,1860 के अधीन)

संख्या 2052 2005- 2006

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि हेम विद्या जनकल्याण समिति ग्राम चमन नगरिया, तहसील खैर जिला- अलीगढ़

को आज उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथासंशोधित सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 ई० के अधीन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया है। यह प्रमाण-पत्र 26-1-2011 तक विधिमान्य होगा।

आज दिनांक 27 जनवरी दो हजार छः को मेरे हस्ताक्षर से दिया गया।

श्री संजीव कुमार शर्मा
सचिव

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।

Hem Vidya Niketan
Chamnagaria

PRINCIPAL
HEM VIDYA NIKETAN
Affiliation No. 2131003
Chaman Nagaria, Khair-202135

Scanned with OKEN Scanner

हेम विद्या जन कल्याण समिति , ग्राम चमन नगरिया तह0 खैर जिला – अलीगढ की प्रबन्ध समिति की सूची वर्ष -2020-21

क्रम सं0 नाम	पता	पद	व्यवसाय
1- श्री मनोज कुमार अग्रवाल पुत्र श्री हरप्रसाद अग्रवाल	मोहल्ला हरनारायण पुराना बाजार खैर, अलीगढ	अध्यक्ष	व्यापार
2- श्री कृष्ण कुमार शर्मा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद शर्मा	ग्राम व पोस्ट कसीसों तह0 खैर, जिला अलीगढ	उपाध्यक्ष	व्यापार
3- श्री विवेक कुमार शर्मा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद शर्मा	ब्लाक कॉलोनी खैर , जिला अलीगढ	प्रबंधक/सचिव	व्यापार
4- श्री अतुल कुमार शर्मा पुत्र श्री मेघश्याम शर्मा	103 चीती महगौरा अलीगढ उत्तर प्रदेश	सहसचिव	नौकरी
5- श्रीमती रेखा अग्रवाल पत्नी श्री मनोज कुमार अग्रवाल	मोहल्ला हरनारायण खैर, अलीगढ	कोषाध्यक्ष	गृहणी
6- श्रीमती स्नेह लता शर्मा पत्नी श्री विवेक कुमार शर्मा	ब्लाक कॉलोनी खैर, जिला अलीगढ	सदस्य	गृहणी
7- श्री चिराग अग्रवाल पुत्र श्री मनोज अग्रवाल	मोहल्ला हरनारायण खैर, अलीगढ	सदस्य	समाजसेवा
8- डा0 गुंजन गोयल पुत्री श्री बाल किशन गोयल	मोहल्ला हरनारायण खैर, अलीगढ	सदस्य	डॉक्टर

भूतपूर्व

हरीकान्त कौशिक

हरी ओम मिश्रा Hari Om Mishra

Rekha Agarwal स्नेह लता

Gunjan

PRINCIPAL
HEM VIDYA NIKETAN
Affiliation No. 21310..
Chaman Nagaria, Khair-20..

Hem Vidya Niketan
Chairman

Scanned with OKEN Scanner

संशोधित नियमावली

1. संस्था का नाम — हेम विद्या जनकल्याण समिति,
2. संस्था का पता — ग्राम चमन नगरिया तहसील खैर जिला अलीगढ
3. संस्था का कार्यक्षेत्र — सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
4. संस्था के उद्देश्य — संलग्न स्मृति पत्र के अंकितानुसार होंगे ।
5. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग —

सदस्यता :—
समिति की सदस्यता सभी वयस्क (बालिग) पुरूष/स्त्री के लिए बिना जाति,रंग,मत या धर्म भेद के प्राप्य हैं, यदि वह समिति की शर्तो एवं नियमों को पूरी करता है लेकिन इसे समिति के प्रबन्धकारिणी समिति से स्वीकृति मिलना आवश्यक है।

आजीवन सदस्यता :—
जो सदस्य एक साथ ही एक बार में 20,000/— रूपये की धनराशि दान स्वरूप देते है वे समिति के आजीवन सदस्य होंगे ।

साधारण सदस्यता :—
जो सदस्य प्रति वर्ष 1000/— रूपये धनराशि दान स्वरूप देंगे वे समिति के साधारण सदस्य होंगे ।

6. सदस्यता की समाप्ति :—
प्रबन्धकारिणी समिति को निम्न शर्तो एवं दशाओं में किसी भी सदस्य को समिति से निष्कासित करने का अधिकार होगा ।

अ— यदि साधारण सभा के दो तिहाई सदस्यों के बहुमत द्वारा उसके विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाए ।
ब— यदि देय तिथि से तीन माह के अन्दर चन्दा, अदा न किया जाये ।
स— सदस्य के त्याग पत्र देने पर ।
द— सदस्य की मृत्यु होने पर ।
ई— सदस्य ने बिना किसी सूचना के लगातार तीन बार तक साधारण सभा की बैठक में भाग न लिया हो। सम्बन्धित सदस्य को सदस्यता से निष्कासित करने का कारण प्रेषित कर दिया जायेगा।

7— संस्था के अंग :— 1— साधारण सभा ।
2— प्रबन्धकारिणी समिति ।

PRINCIPAL
HEM VIDYA NIKETAN
Affiliation No. 2131003
Chaman Nagaria, Khair-202

Hem Vidya Niketan
Chairman

8— साधारण सभा :—
गठन :—
साधारण सभा का गठन संस्था के सभी सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा ।

बैठक :—
साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक तथा विशेष बैठक आवश्यकतानुसार बुलाई जायेगी ।

सूचना अवधि :—
साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना सदस्यों को 15 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व दी जायेगी ।

...2...पर

19/3/2018 Meera Sharma A.K. Rashmi Sharma

Scanned with OKEN Scanner

गणपूर्ति :–

गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम होगा ।

विशेष वार्षिक अधिवेशन :–

संस्था का विशेष वार्षिक अधिवेशन प्रति वर्ष सत्र. समाप्ति पर होगा जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति के 2/3 बहुमत से तय कर ली जायेगी ।

साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :–

1– प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा प्रस्तुत किसी कार्य पर विचार करना । प्रतिवर्ष मार्च के महीने में साधारण सभा की वार्षिक बैठक होगी जब और जैसे आवश्यक होगा, पूर्व सूचना द्वारा विशेष सभा बुलाई जायेगी। साधारण सभा की बैठक के लिये सभी सदस्यों को कम से कम 15 दिन पूर्व सूचना देनी होगी । सूचना–पत्र के साथ कार्य–सूची, तिथि, समय, स्थान से सम्बन्धित एजेन्डा संलग्न होगा । कोरम पूरा करने के लिये दो–तिहाई सदस्यों की संख्या आवश्यक होगी विशेष सभा सदस्यों को तीन दिन पूर्व उचित सूचना देकर बुलाई जायेगी ।

9–प्रबन्धकारिणी समिति :–

गठन :–

प्रबन्धकारिणी समिति का गठन कम से कम सात सदस्यों को चुन कर किया जायेगा जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव, कोषाध्यक्ष, तथा शेष कार्यकारिणी सदस्य होंगे । सदस्यों की संख्या कम से कम 7 तथा अधिक से अधिक 21 होगी ।

बैठक :–

प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक वर्ष में एक तथा विशेष बैठक आवश्यकतानुसार बुलाई जायेगी ।

सूचना अवधि :–

प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना सदस्यों को 7 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना 24 घण्टे पूर्व दी जायेगी ।

गणपूर्ति :–

गणपूर्ति के लिये कुल सदस्यों की संख्या 2/3 बहुमत से अधिक सदस्यो की उपस्थिति का कोरम होगा ।

रिक्त स्थान की पूर्ति :–

प्रबन्धकारिणी समिति में यदि कोई आकस्मिक रिक्त हो जाता है तो इस रिक्त स्थान की पूर्ति प्रबन्धकारिणी समिति के 2/3 बहुमत से साधारण सभा में से शेष कार्यकाल के लिये कर ली जायेगी ।

प्रबन्धकारिणी समित के अधिकार एवं कर्तव्य :–

अ– आवश्यकतानुसार बैंक/बैंकिंग, संस्था/संस्थाओं और व्यक्ति/व्यक्तियों से उचित शर्तों एवं दशाओं के आधार पर धन की व्यवस्था करना। प्रबन्धकारिणी समिति इसे लौटोने हेतु उत्तरदायी होगी ।

ब– प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा समिति के भावी कार्यक्रमों के लिये योजना बनाना ।

PRINCIPAL
HEM VIDYA NIKETAN
Affiliation No. 2131...
Chaman Nagaria, Khair ...

Hem Vidya Niketan
Chairman

19/3/2020 Meena Sharma A. K. ... Roshni Sharma

...3..पर

स— साहित्य का प्रकाशन और समाज की सामाजिक दशा की उन्नति एवं उत्थान हेतु कार्य प्रणाली का संचालन कराना ।

द— किसी अधिकारी / कर्मचारी की नियुक्ति,सेवा समाप्ति तथा उसके कार्य एवंजिम्मेदारी का निर्धारण ।

य— प्रबन्धकारिणी समिति कम से कम महिने में एक बार बैठक करेगा ।

र— समिति के उद्देश्यों एवं प्रयोजनों को मूर्त रूप देने तथा आगे बढाने हेतु समाज से दूसरी संस्थाओं से संगठनों से तथा सरकारी विभाग से दान की धनराशि चन्दा, अनुदान सम्पत्तियां आदि स्वीकार करना ।

10—पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :—

अध्यक्ष :—

अ— वह सदस्यों एवं पदाधिकारियों द्वारा किये गये कार्यो एवं गतिविधियों का निरीक्षण करेगा ।

ब— वह समिति का मुखिया होगा और साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा उसे मतों की बराबरी की दशा में गतिरोध को दूर करने हेतु अपना मतदान किसी भी पक्ष की ओर करने का अधिकार होगा ।

उपाध्यक्ष :—

: अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष उन सभी शक्तियों का उपयोग एवं कर्तव्यों का निर्वाहन करेगा जो अध्यक्ष को प्रदान की गई है। वह अध्यक्ष के कार्य में भी सहायता करेगा ।

सचिव :—

अ— समिति की ओर से हस्ताक्षर करना और पत्र—व्यवहार करना तथा समिति की बैठकों की कार्यवाही का विवरण रखना ।

ब— साधारण सभा की बैठक बुलाना और उपस्थित रहकर उसकी कार्यवाही में भाग लेना ।

स— कम से कम दो तिहाई सदस्य साधारण सभा की बैठक बुलाने की इच्छा प्रकट करें तो साधारण सभा की बैठक बुलाना ।

PRINCIPAL
HEM VIDYA NIKETAN
Affiliation No. 2131003
Chamari Nagala, Khair-20

सहसचिव :—

: सचिव की अनुपस्थिति में सहसचिव उन सभी अधिकारों का उपयोग एवं कर्तव्यों का निर्वाह करेगा जो सचिव को प्रदान की गई है। वह सचिव के कार्य में सहायता करेगा ।

कोषाध्यक्ष :—

यह समिति की आय एवं व्यय का हिसाब रखेगा और प्रबन्धकारिणी समिति की आवश्यक सूचना प्रस्तुत करेगा । वह अपने पास 5,000/— रूपये तक रख सकेगा और शेष धन—राशि बैंक में जमा करेगा ।

Hem Vidya Niketan
Chairman

Meena Sharma A. K. Rashmi Sharma

प्रतिबन्ध —

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
2. विद्यालय के प्रबन्धसमिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद / बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जावेगा ।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मॉग नहीं की जावेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सैन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेन्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली काउन्सिल फॉर दि इंण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः ही समाप्त हो जायेगा
5. संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमान्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नही दिये जायेंगे ।
6. कर्मचारियों की सेवा शर्त बनाई जावेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमान्य सेवा निवृत्ति लाभ उपलब्ध कराये जायेंगें।
7. राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगें संस्था उनका पालन करेगी ।
8. उक्त प्रतिबन्धों में बिना शासन की पूर्व अनुमति के कोई परिवर्तन, परिवर्धन / संशोधन नहीं किया जायेगा ।
9. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र / पंजिकाओं में रखा जायेगा ।
10. उत्तर प्रदेश शिक्षा सहिता की धारा 105 से 107 के अन्तर्गत विभिन्न वर्गो के छात्रों को अनुमन शुल्क मुक्ति संस्था के छात्रों को प्रदान की जायेगी ।

यदि हॉ तो कृपया प्रबन्धकारिणी का इस आशय का प्रस्ताव संलग्न करें कि विद्यालय को विभाग / शासन के सभी प्रतिबन्ध क्रम 1 से 10 तक स्वीकार हैं।

PRINCIPAL
HEM VIDYA NIKETAN
Affiliation No. 2131003

11— संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन, परिवर्तन, प्रक्रिया :—
संस्था के नियमों—विनियमों में संशोधन, परिवर्तन, साधारण सभा के 2/3 बहुमत से करेंगे।

12— संस्था का कोष एवं लेखा व्यवस्था :—
संस्था को कोष किसी बैंक अथवा डाकघर में जमा किया जायेगा जिसका संचालन सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जायेगा ।

...5.. पर

Hem Vidya Niketan
Chairman

Scanned with OKEN Scanner

13— संस्था का लेखा परीक्षण आडिट :—
संस्था का लेखा परीक्षण प्रति वर्ष सत्र समाप्ति पर किसी योग्य आडीटर अथवा चार्टड एकाउन्टैन्ट द्वारा किया जायेगा ।

14— संस्था के द्वारा अथवा उसके विरूद्व अदालती कार्यवाही के निस्तारण का उत्तरदायित्व :—
संस्था के द्वारा अथवा उसके विरूद्व अदालती कार्यवाही के निस्तारण की कार्यवाही सचिव अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जायेगी ।

15— संस्था के अभिलेख :—
1— सदस्यता रजिस्टर
2— कार्यवाही रजिस्टर
3— एजेण्डा रजिस्टर
4— स्टाफ रजिस्टर
5— कैश बुक, आदि

16— संस्था के विघटन :—
यदि दुर्भाग्यवश संस्था विघटित होती है तो विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसायटी रजि0 अधि0 1860 की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी ।

A. K. [illegible]
Meena Sharma
[illegible]
Rashmi Sharma

दिनांक :-

सत्यप्रतिलिपि

PRINCIPAL
HEM VIDYA NIKETAN
Affiliation No. 2131003
Chaman Nagaria, Khair-202

[illegible]
19/3/2008

Hem Vidya Niketan
Chairman